LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
Bulletin Part-I
(Brief summary of proceedings)
Wednesday, 06 June 2018 / 16 Jyeshtha 1940 (*Saka*)

No. 82

02.02 PM **Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair**

National Song (Vande Mataram)

1. 2.05 PM **Congratulatory Motion (Rule-114) :**
Smt. Sarita Singh congratulated Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister and Education Department, GNCT of Delhi on achieving outstanding results by Government Schools in CBSE examinations of 12th Class.
Shri Manjinder Singh Sirsa also expressed his views.
Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister replied.

2. 2.17 PM **Ruling by the Chair :**
The Chair stated that the present session had been convened to discuss the issue of *"Full Statehood to Delhi"* and as such he was not allowing, any other notices except the matters listed for the day.
The Members of the Bhartiya Janta Party were not satisfied with the ruling of the Chair.
Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition demanded that the notice given by him under Rule-54 be considered. Members of BJP came in the well of the House and started exchanging arguments with the Chair. The Chair requested the Members to take their seats and discuss the issue with him in his Chamber.

3. 2.22 PM **Questions Hour :**
Starred Questions No. 01, 03 to 06 were asked and replied to. Replies to Starred Questions No.02, 07 to 20 (except 14, 16 & 19) and Un-Starred Questions No. 01 to 37 (except 04, 09, 10, 31 & 36) were placed on the table.
(3.01 PM) Replies to Starred Questions No. 14 & 16 (Revenue Department) & 19 (Education Department) and Unstarred Questions No. 04, 09 & 10 (Education Department), 31 (Revenue Department) & 36 (IT/PWD) were not received from the concerned departments.
Shri Saurabh Bharadwaj and Ms. Bhawna Gaur drew the attention of the Chair towards the fact that they had not received replies to their Questions.
Members of the Ruling Party came in the well of the House and protested against the non-receipt of replies of Assembly Questions.
Uproar in the House.

4. 3.09 PM **The Chair adjourned the House for 15 Minutes due to continuous disturbance in the proceedings.**

5. 3.40 PM **House reassembled.**
Hon'ble Speaker in-Chair.

6. 3.41 PM **Ruling by the Chair :**
The Chair directed that keeping in view the concerns of the Hon'ble Members and sense of the House, the Starred Questions 14 & 16 pertaining to Revenue Department and Starred Question 19 pertaining to Education Department be listed for 07 June. 2018.
Replies of Unstarred Questions of Education Department (U/S 04, 09 & 10), Revenue Department (U/S 31) had also not been received. Hence, replies to these questions alongwith the personal explanation of the concerned Secretary/Principal Secretary should be submitted through the concerned Minister's by 2.00 PM on 07 June, 2018.
The Chair further directed that the Administrative Secretary/Principal Secretaries of Revenue and Education Departments should be present in the Officer's Gallery at 2.00 PM on 07 June, 2018.

7. 3.42 PM **Special Mention(Rule-280):**

The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:

1. Sh. Manjinder Singh Sirsa
2. Sh. Jarnail Singh
3. Sh. S.K. Bagga
4. Sh. Mohinder Goyal
5. Smt. Bandana Kumari
6. Sh. Vijender Garg
7. Sh. Naresh Yadav
8. Sh. Jagdish Pradhan
9. Sh. Praveen Kumar
10. Sh. Vishesh Ravi *(Minister of Law & Justice intervened)*

8. 4.08 PM The Chair informed the House that a booklet entitled "*Committee System in Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi"* had been published and was being circulated for the use of Hon'ble Members.

9. **Papers laid on the Table :**

Shri Satyendra Jain, Hon'ble Minister of Power laid copies of the following on the Table of the House.

I. Copy of the Delhi Gazette Notification No.03, dated 09 March 2018 regarding DERC (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) Regulations, 2018, dated 08 March 2018 *(English & Hindi).*

II. Copy of Annual Report of DUSIB for the year 2016-17 *(English).*

10. 4.09 PM **Government Resolution (Rule-90) :**

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister moved the following Resolution with the leave of the House:

'Keeping in view the aspirations of the people of Delhi for a better quality of life commensurate with their contribution to the economy;

Also keeping in view the fact that the multiplicity of agencies have created obstacles in the all round development and progress of Delhi as a world class city;

Observing with concern that vested interests with no accountability have manipulated and corrupted the existing system of governance which was guaranteed by the Constitution for the people of Delhi;

Also noting that all the major political parties have supported the idea of full statehood to Delhi in their respective manifestoes;

This House resolves that the National Capital Territory of Delhi should be granted full statehood immediately."

The following Members participated in the discussion.

1. Shri Saurabh Bharadwaj
2. Ms. Alka Lamba
3. Shri Nitin Tyagi
4. Shri Ajay Dutt
5. Shri Manjinder Singh Sirsa

11. 6.04 PM **The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Thursday, 07 June 2018.**

Delhi
06 June, 2018

C. Velmurugan
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
बुधवार, 06 जून, 2018 / 16 ज्येष्ठ, 1940 (शक्)

संख्या–82

2.02 बजे **श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

राष्ट्रीय गीत (वन्दे मातरम्)

1. 2.05 बजे **बधाई प्रस्ताव (नियम–114):**

श्रीमती सरिता सिंह ने श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री तथा शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को, 12वीं कक्षा की सी.बी.एस.ई परीक्षाओं में सरकारी विद्यालयों द्वारा उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने पर बधाई दी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया।

2. 2.17 बजे **अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था :**

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वर्तमान सत्र *''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने''* के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया है और इसलिए वे आज कार्यसूची में सूचीबद्ध मामलों के अलावा किसी अन्य नोटिस की अनुमति नहीं देंगे।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उनके द्वारा नियम–54 के तहत दिये गये नोटिस पर विचार करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वैल में आ गये तथा अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क–वितर्क करने लगे। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से अपना स्थान ग्रहण करने तथा इस मामले पर अपने कक्ष में चर्चा करने का अनुरोध किया।

3. 2.22 बजे **प्रश्न कालः** तारांकित प्रश्न संख्या 01, 03 से 06 पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 02, 07 से 20 (14, 16 तथा 19 को छोड़कर) तथा अतारांकित प्रश्न सख्या 01 से 37 (04, 09, 10, 31 एवं 36 को छोड़कर) के उत्तर सदन पटल पर रखे गये।

(3.01 बजे) तारांकित प्रश्न संख्या 14 एवं 16 (राजस्व विभाग) तथा 19 (शिक्षा विभाग) और अतारांकित प्रश्न संख्या 04, 09 एवं 10 (शिक्षा विभाग), 31 (राजस्व विभाग) एवं 36 (सूचना प्रोद्योगिकी / लोक निर्माण विभाग) के उत्तर संबंधित विभागों से प्राप्त नहीं हुए।

श्री सौरभ भारद्वाज तथा सुश्री भावना गौड़ ने अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

सत्ता पक्ष के सदस्य सदन के वैल में आ गये तथा विधानसभा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त न होने के कारण विरोध प्रकट करने लगे।

सदन में शोर–शराबा।

4. 3.09 बजे **कार्यवाही में लगातार बाधा होने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की।**

5. 3.40 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**

माननीय अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

6. 3.41 बजे **अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था :**

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि माननीय सदस्यों द्वारा जाहिर की गई चिंता और सदन की भावना के दृष्टिगत, राजस्व विभाग से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 14 एवं 16 तथा शिक्षा विभाग से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 19 को दिनांक 07 जून, 2018 को सूचीबद्ध किया जाये।

शिक्षा विभाग से संबंधित अतारांकित प्रश्न (संख्या 04, 09 एवं 10) और राजस्व विभाग से संबंधित प्रश्न (संख्या 31) के उत्तर प्राप्त नहीं हुए। अतः इन प्रश्नों के उत्तर, संबंधित सचिव / प्रधान सचिव के व्यक्तिगत स्पष्टीकरण सहित, संबंधित मंत्री के माध्यम से दिनांक 07 जून, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक प्रस्तुत कर दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देश दिया कि राजस्व तथा शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव / प्रधान सचिव दिनांक 07 जून, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे अधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहें।

7. 3.42 बजे **विशेष उल्लेख (नियम–280) :**

निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम–280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये:–

1. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
2. श्री जरनैल सिंह
3. श्री एस.के.बग्गा
4. श्री महेन्द्र गोयल
5. श्रीमती बंदना कुमारी
6. श्री विजेन्द्र गर्ग
7. श्री नरेश यादव
8. श्री जगदीश प्रधान
9. श्री प्रवीण कुमार
10. श्री विशेष रवि *(माननीय विधि एवं न्याय मंत्री ने हस्तक्षेप किया)*

8. 4.08 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि *''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में समिति व्यवस्था''* शीर्षक पुस्तिका प्रकाशित की गई है और इसे माननीय सदस्यों के उपयोग हेतु वितरित किया जा रहा है।

9. **सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात :**

श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय उर्जा मंत्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत कीः

क) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच और ओम्बुड्समैन) विनियम, 2018 दिनांक 08 मार्च, 2018 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र अधिसूचना संख्या– 03, दिनांक 09 मार्च, 2018 (हिन्दी–अंग्रेजी प्रतियां)

ख) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का वर्ष 2016–17 का वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी प्रति)

10. 4.09 बजे **सरकारी संकल्प (नियम–90):**

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:–:

''बेहतर जीवन–गुणवत्ता के लिए दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं के दृष्टिगत और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के अनुरूप;

इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि निकायों की बहुलता ने विश्व–स्तरीय शहर के रूप में दिल्ली के चहुँमुखी विकास तथा प्रगति में बाधा पहुँचाई है;

यह चिंताजनक रूप से अवलोकन करते हुए कि उत्तरदायित्व–विहीन निहित स्वार्थों ने शासन की उस विद्यमान व्यवस्था को छल–योजित और विकृत किया है, जिसे दिल्ली के लोगों के लिए संविधान द्वारा संरक्षित किया गया था;

यह भी ध्यान देते हुए कि दिल्ली के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्रों में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के विचार का समर्थन किया है;

यह सदन संकल्प करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को तत्काल पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाये।''

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:

1. श्री सौरभ भारद्वाज
2. सुश्री अलका लाम्बा
3. श्री नितिन त्यागी
4. श्री अजय दत्त
5. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

11. 6.04 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही वीरवार, दिनांक 07 जून, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।**

दिल्ली
06 जून, 2018

सी. वेलमुरूगन
सचिव